

86

अंचल अधिकारी का कार्यालय, तोपचाँची(धनबाद)

अभिलेख सं० 110(11) / 2016-17

कार्य का प्रकार :- बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित।

पदाधिकारी आदेश

14/10/16

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा० दिनांक 13.05.2016 सहपटित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू-अर्जन- सह - विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या- 3 - खा०म०निति - 119/85/2308/रा० दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पटित राजस्व विभागगीय परिपत्र संख्या - 914/रा० दिनांक 09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारम्भ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्र०अ०नि० द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

मौजा विशुनपुर थाना नं० 20 खाता नं० 39
प्लॉट नं० 8 रकवा 0.05 एकड की
भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी II के जिल्द सं० के पृष्ठ संख्या 110 पर जमाबंदी रैयत स्वप्न कुमार पंत के नाम से कायम है।


हल्का कर्मचारी एवं प्र०अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं प्र०अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध कोड़कर बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाए।

अभिलेख दिनांक 28/10/16 को उपस्थापित करे।


अंचल अधिकारी,
तोपचाँची.


पदाधिकारी आदेश

अभियुक्ति

अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तामिला के क्रम में पाया गया कि स्थल पर सदिन्ध जमाबंदी रैयत का प्लोट खाली है। संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि भूमि झारखण्ड सरकार के खाते कि भूमि है एवं BPHT के तहत जमाबंदी कायम की गई है। झारखण्ड सरकार के भूमि पर BPHT के तहत बंदोबस्ती देना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः जमाबंदी को संदेहास्पद जमाबंदी का मामला मानते हुए जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।

अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धनबाद को भेजे।


अचल अधिकारी
तोपचाँची।

110(11)16-14

5

संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- स्वप्न कुमार चौधरी पिता-भार्यक लाल चौधरी

2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-

मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
विशुपुडा	20	39	8/55	0.05

3. जमाबंदी पंजी-II के जिल्द संख्या..... पृष्ठ सं०-110 पर कायम है -

4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है - 81-82

5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :- भार्यक लाल चौधरी

6. किस सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :- म.ए.ए.ए.

7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :- म.ए.ए.ए.

8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण/अवैध भूबंदोबस्ती - की.पी.पी. एन.डी. क्र. 50/81-82 र.नं. 25/382

9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न/बन्दोबस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू-हस्तांतरण पंजी)

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
002	100/81		

सूचना

स्वामि कुमार-पीधारी
पिता - भाखनलाल-पीधारी
ग्राम - विष्णुपुर पो0
थाना - उरिउपुर जिला - धनबाद।

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा विष्णुपुर
थाना नं0 20 खाता नं0 39 प्लॉट नं0 8
रकबा 0.05 एकड से संबंधित आपके नाम से हल्का नं0 II के पंजी II
भाग के पृष्ठ 110 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने प्र0अंचल
निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव, आप उक्त संबंध में दिनांक 28/10/16 को समय 11:00 बजे
पूर्वा0 में उक्त भूमि का रिटर्न -I, भूमिबंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा
निर्गत जमींदारी रसीदों, फार्म M एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा
निर्गत राजस्व रसीदों निर्गत परवाना एवं अन्य टोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो
आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अघोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में
उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको
कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते
हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशांसा कर दी
जायेगी।

इसे सख्त ताकीद जानें।

तिथि :- 14/7/2016

स्थान :- तोपचौची



अंचल अधिकारी

तोपचौची